झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज॰स॰ (नि॰) विविध –08/2012 राँची, दिनांक –

आदेश

श्री शुक्का उराँव, तत्॰ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, नालन्दा सम्प्रति सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं॰– 993 दिनांक 26.05.14 के द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है –

(i) राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत कुलती ग्राम के निकट जिराईन नदी पर आर॰सी॰सी॰ पुल निर्माण हेतु दिनांक 14.07.2006 को मो॰1,31,97,000/– रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 85,78,050/–रूपये विमुक्त किया गया था। लगभग दो वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी इस योजना में कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया साथ ही इस महत्वपूर्ण योजना को असफल कर दिया गया जिसके चलते एक तरफ सरकारी राशि का ससमय उपयोग संभव नहीं हो सका तथा दूसरी ओर इस योजना के लाभ से आम जनता को वंचित रहना पड़ा।

(ii) मारी ग्राम के निकट पैमार नदी पर 4x8.39 आकार का आर॰सी॰सी॰ उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत दिनांक 14.07.2006 को 64,85,000/–रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए मो॰ 42,15,250/–रूपये विमुक्त किया गया था। लगभग दो वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी इस योजना में कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया तथा इस महत्वपूर्ण योजना को असफल कर दिया गया जिसके चलते एक तरफ सरकारी राशि का ससमय उपयोग संभव नहीं हो सका तथा दूसरी ओर इस योजना के लाभ से आम जनता को वंचित रहना पड़ा।

(iii) राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत घुरगाँव ग्राम में मीनी हैचरी के निर्माण से संबंधित 12x8 व्यास का गहरा नलकूप निर्माण कराने हेतु दिनांक 13.04.06 को मो॰ 7,92,400/–रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए मो॰ 5,15,060/–रू॰ उपलब्ध कराया गया था, लेकिन दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस योजना में कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया साथ ही इस महत्वपूर्ण योजना को असफल कर दिया गया जिसके चलते एक तरफ सरकारी राशि का ससमय उपयोग संभव नहीं हो सका तथा दूसरी ओर इस योजना के लाभ से आम जनता को वंचित रहना पड़ा।

(iv) घुरगाँव ग्राम मे मीनी हैचरी के निर्माण से संबंधित ब्रिडिंग पूल, चौकीदार–सह–भंडार गृह, जेनेरेटर कक्ष, हैचरी संचालन कक्ष एवं ओवर हेड जलमीनार निर्माण हेतु दिनांक 13.04.06 को मो॰ 22,25,500/– रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 14,46,575/– रूपये उपलब्ध कराया गया था, लेकिन दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस योजना मे कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया साथ ही इस महत्वपूर्ण योजना को असफल कर दिया गया जिसके चलते एक तरफ सरकारी राशि का ससमय उपयोग संभव नहीं हो सका तथा दूसरी ओर इस योजना के लाभ से आम जनता को वंचित रहना पड़ा।

(v) राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत् नगरनौसा, चण्डी एवं नूरसराय में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु दिनांक 18.07.06 को क्रमशः 3,50,000/–, मो॰ 2,50,000/– एवं 2,50,000/– की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इन योजनाओ के विरूद्ध क्रमशः 2,75,500/–एवं 1,62,500/– रूपये उपलब्ध कराया गया था। लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी इन स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण कराने की बात तो दूर रही कार्य भी प्रारंभ नहीं कराया गया साथ ही इस महत्वपूर्ण योजना को असफल करा दिया गया जिसके चलते एक तरफ सरकारी राशि का ससमय उपयोग संभव नहीं हो सका तथा दूसरी ओर इस योजना के लाभ से आम जनता को वंचित रहना पड़ा।

(vi) राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत कार्यान्वित करायी जा रही अधिकांश योजनाओं के संवेदक के साथ हुए एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण कराने की अवधि काफी समय पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन योजनाएँ अपूर्ण है। इसकी समीक्षा भी कभी नहीं की गई और न ही दोषी संवेदकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई ही की गई। इस तरह का कार्यकलाप एक सरकारी पदाधिकारी के पद की मर्यादा एवं आचरण के प्रतिकूल है तथा सरकारी कार्य में लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छा चारिता एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

(vii) राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत कार्यान्वित करायी जा रही निम्नलिखित योजनाओ में अपनी मर्जी से बिना सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये योजना के लिए स्वीकृत रूपांकरण को परिवर्तित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप इन योजनाओं के Feasibility & Durability पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया।

(viii) राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत स्वीकृत अस्थावाँ प्रखण्ड अंतर्गत कुलती जीयर जलकर में संचयन तालाब टि० 06 से टि० 10 की निर्माण की योजना जिसकी प्राक्कलित राशि 21.005 लाख रूपये है, को दिनांक 15.02.07 की संपन्न जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमिटी की बैठक में स्थगित कर दी गई थी एवं इस आशय की सूचना जिला विकास शाखा के पत्रांक 459/वि० दिनांक 28.02.07 द्वारा दी गई थी। इसके बावजूद मनमाने ढंग से मो० 13.65 लाख रूपये व्यय का दिया गया जो सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं वित्तीय अनियमितता का सूचक है। आपके द्वारा जान बुझकर गलत उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थगित योजना पर राशि व्यय कर सरकारी राशि का बंदरवाट एवं दुरूपयोग किया गया है। इसी तरह सिलाव प्रखण्ड अंतर्गत नव नालंदा महाबिहार स्थित इन्द्रपुष्पकर्णी तालाब के जीर्णोद्वार संबंधी योजना जो जिला विकास शाखा के पत्रांक –459/वि० दिनांक 28.02.07 द्वारा स्थगित कर दी गई थी में भी मो० 42,000/– रूपये व्यय कर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है।

(ix) राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत कार्यान्वित करायी जा रही अधिकांश योजनओं में श्री संजय कुमार, तत्० सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बिहारशरीफ से अनधिकृत रूप से अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु कार्य लिया गया है। इस तरह अपनी इच्छा से दूसरे विभाग के सहायक अभियंता से कार्य लेना सरकारी नियम के प्रतिकूल है।

(x) मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत 26 योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व सौपा गया था जिसमे से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अभी तक मात्र दो योजनाओं में कार्य भी प्रारंभ नहीं किया गया है। एक योजना एन०एच०–32 से जेल पहुँच पथ में कोसूत नदी पर पुल निर्माण संबंधी योजना में विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही धरासाई हो गया। इस कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित करायी जा रहे पन्द्रह योजनाओं में संवेदक से हुए एकरारनामा के अनुसार कार्य करने की अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी है लेकिन दोषी संवेदकों के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी, जो सरकारी कार्य में लापरवाही उदासीनता एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

(xi) नालन्दा जिले के सिलाव प्रखण्ड अंतर्गत नेपुरा ग्राम में ग्रामीण पर्यटन संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व दिया गया था। इसके तहत स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध स्वीकृत कुल राशि 42,29,600/– रू० दो किस्तों में उपलब्ध करायी गयी। दो वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सहा० अभि० एवं कनीय अभियंता को 38,09,986/– रू० अग्रिम के तौर पर दिया गया। जाँच दल के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय नियमों के प्रतिकूल अपनी इच्छानुसार अनधिकृत रूप से श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता जो अधीनस्त नहीं है को महज उनके आवेदन पत्र पर ही मो०–15.00/– लाख रूपये का अग्रिम भुगतान कर सरकारी राशि का बंदरबाट एवं दुरूपयोग किया गया है। इस योजना में जो भी कार्य कराया गया है उसकी गुणवत्ता निहायत ही घटिया एवं स्तरहीन है।

(xii) कब्रिस्तान घेराबंदी कार्यक्रम के तहत 68 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दो किस्तों में 1,41,51,500/– रूपये उपलब्ध कराया गया था। इस कार्यक्रम से संबंधित योजना में उपलब्ध कराया गया था। इस कार्यक्रम से संबंधित योजना में उपलब्ध अभिलेख, रोकड़ पंजी एवं अन्य कागजातों का भौतिक सत्यापन उप विकास आयुक्त, नालन्दा की अध्यक्षता में गठित जाँच दल से करायी गई है। जाँच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिना किसी संचिका एवं आधार के निम्नलिखित सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं को अपनी इच्छानुसार चेक द्वारा अग्रिम का भुगतान किय गया है :–

1. श्री संजय कुमार, सहा० अभियंता मो०– 25,00,000/–
2. श्री मो० मुजीव अहमद, क० अभियंता मो०– 25,00,000/–
3. श्री कपिलदेव प्रसाद, क० अभियंता मो०– 5,00,000/–
4. श्री अरविन्द कुमार, क० अभियंता मो०– 5,00,000/–

कुल 60,00,000/–

(xiii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 24 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त के रूप मे मो० 1,20,00,000/– रूपये आवंटित किया गया था। बिना कार्यादेश एवं अधियाचना के निम्नलिखित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को एकमुस्त अग्रिम देकर सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं बंदरवाट किया गया है। यहाँ तक की इस कार्यक्रम के तहत स्वयं तथा घरेलु नौकर श्री उमेंश राम के नाम पर भी अग्रिम लिया गया है जो सरकारी राशि का अस्थायी रूप से गबन का द्योतक है।

1. श्री शुक्का उराँव, तत्० कार्य० अभियंता (स्वयं) – मो० 6,00,000/–
2. श्री उमेश राम (कार्य० अभियंता का घरेलु नौकर)–मो० 3,00,000/–
3. श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता – मो० 25,00,000/–
4. श्री कपिलदेव प्रसाद, कनीय अभियंता – मो० 34,00,000/–
5. श्री उदय सिंह, कनीय अभियंता – मो० 1,00,000/–

कुल – 69,00,000/–

(xiv) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक/पार्षद क्षेत्र विकास योजना से संबंधित रोकड़ पंजी योजना अभिलेख तथा अन्य कागजातों का भौतिक सत्यापन के अनुसार इन कार्यक्रमों के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को सिर्फ अग्रिम का भुगतान करना ही अपना कर्त्तव्य समझा गया है। योजनाओं को पूर्ण कराने तथा अग्रिम के समायोजन की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके फलस्वरूप सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं के विरूद्ध करोड़ो रूपये या तो असमायोजित है या वसूलनीय है।

(xv) राम बाबू उच्च विद्यालय हिलसा में आउट डोर स्टेडियम निर्माण दो किस्तो मे मो० 1500000 (पन्द्रह लाख) रूपये आपको उपलब्ध कराई गई थी विभिन्न तिथियों को आपके द्वारा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को अग्रिम दिया गया है, लेकिन एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी योजना अपूर्ण है। योजना पूर्ण कराने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई जो सरकारी कार्य में उदासीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है एवं सरकारी राशि का अस्थायी रूप में गबन का परिचायक है।

(xvi) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा द्वारा 63 योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व दिया गया था जिसमें से बहुत सी योजनाएँ अपूर्ण है। सहायक अभियंताओं को दिया गया अग्रिम एक लम्बी अवधि से समायोजन हेतु लंबित है। असमायोजित राशि की वसूली के संबंध में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। योजना पूर्ण कराने की दिशा में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसके फलस्वरूप अधिकांश योजनाएँ अपूर्ण है जिसका प्रतिकूल असर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों पर पड़ रहा है। सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना आपकी लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता के कारण असफल हुई है।

2. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में श्री उरॉव के विरूद्ध प्रतिवेदित कुल 16 आरोपों में से 15 आरोपों को विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री उराँव, तत्० कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सहायक अभियंता द्वारा अपने बचाव बयान में अपने कथन के सापेक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।

4. सम्यक समीक्षोपरांत श्री शुक्का उरॉव, तत्० कार्य० अभियंता सम्प्रति सहायक अभियंता को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिये द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री उरॉव, तत्० कार्य० अभियंता सम्प्रति सहायक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री उरॉव, तत्० कार्य० अभियंता सम्प्रति सहायक अभियंता द्वारा समर्पित अपने कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य शामिल नहीं किया गया है, मात्र संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित अपने बचाव बयान में जो तथ्य दिये थे उसे ही दुहराया गया है। श्री उरॉव, द्वारा स्वयं को 6 लाख रू० एवं घरेलु नौकर को 3 लाख रू० का अग्रिम दिया गया है, जो कुल 9,00,000/–रू० सरकारी राशि का अस्थायी गबन संबंधी आरोप को प्रमाणित करता है।

अतः श्री उरॉव, तत्० कार्य० अभियंता सम्प्रति सहायक अभियंता के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :–

(क) श्री उरॉव द्वारा लिए गए 9,00,000/–(नौ लाख) रूपये अस्थायी अग्रिम की राशि की एकमुस्त वसूली।

(ख) निन्दन।

(ग) पाँच वर्षो तक प्रोन्नति पर देय तिथि से रोक।

(घ) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 3151 राँची,दिनांक – 13-6-16

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–4409 दिनांक 02.12.14 के प्रसंग में/ उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/श्री शुक्का उरॉव, प्राक्कलन पदाधिकारी, जलपथ प्रमण्डल सं०–1, सिमडेगा/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/06/2016

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव